फैक्स / स्पीडपोस्ट शीर्ष प्राथमिकता / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–12, लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या 3158 / 12–7(डब्लू) / 11, दिनांक :: 25–05– 2011

विषय :– राजस्व वादों के निस्तारण में गतिशीलता व सुधार लाये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वादों का निस्तारण । किन्तु प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में अत्यधिक संख्या में राजस्व वाद लम्बित है। राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण तथा लम्बित वादों की संख्या में कमी लाये जाने हेतु समय–समय पर शासन एवं परिषद स्तर से निर्देश भी निर्गत किये गये हैं। आम जनता तथा वादकारियों के हित में तथा राजस्व प्रशासन की छवि के दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि जनपद एवं मण्डल स्तर के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में अत्यधिक संख्या में लम्बित वादों का शीघ्र निस्तारण किया जाय। इस संबंध में परिषद स्तर पर संवीक्षा के उपरान्त कतिपय तथ्य प्रकाश में आए हैं, जिसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है तथा इस संबंध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं।

1– राजस्व न्यायालयों में निर्धारित प्रारूप पर मिसिलबन्द रजिस्टर, केस डायरी तथा अन्य निर्धारित रजिस्टर बनाए जाये तथा उन्हे निरन्तर अद्यावधिक किया जाये।

2- पीठासीन अधिकारियों द्वारा न्यायिक कार्यों के लिए निर्धारित दिनांक को केवल इतनी संख्या में वादों को सुनवाई हेतु निश्चित किया जाए जितनें वादों की सुनवाई पीठासीन अधिकारी स्वयं कर सकने में सक्षम हो।

3- तहसीलदार / नायब तहसीलदार न्यायालयों में नामान्तरण से सम्बन्धित कई वर्ष पुराने वाद भी लम्बित है क्योंकि तहसीलदार / नायब तहसीलदार न्यायालय नामान्तरण वादों का व्यवहरण घोषणात्मक वादों की भाँति कर रहे हैं। सभी राजस्व पीठासीन अधिकारियों को चाहिए कि सम्बन्धित अधिनियमों व नियमों का पुनः सम्यक अध्ययन कर विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए न्यायालय की गतिविधियों का संचालन करें तथा शीघ्रता से वादों का निस्तारण करें।

कृ0पृ0–2–

4- उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा– 176 के वादों में, लेखपाल/ राजस्व निरीक्षक द्वारा समय से कुरे दाखिल करने तथा भू–राजस्व अधिनियम की धारा–41 के वादों में ठियाबन्दी की पैमाइश रिपोर्ट एवं भू–राजस्व अधिनियम की धारा–28 के अर्न्तगत भू–चित्र संशोधन की रिपोर्ट समय से प्रस्तुत किये जाने की समीक्षा उपजिलाधिकारी 15 दिन में एक बार अपने स्तर पर अवश्य करें।

5- समस्त पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माह उनके द्वारा वादों का निस्तारण दायरे से किसी भी दशा में कम न हो। एक वर्ष से अधिक पुराने विवादित वादों का लम्बित रहना किसी भी दशा में उचित नहीं है, उनका यथाशीघ्र निस्तारण किया जाये।

6- न्यायालयों में वाद पत्रावलियों में यह सुनिश्चित किया जाए कि फर्द–ए–अहकाम की प्रविष्टियां पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं भरी जायें अथवा यदि उनके निर्देश पर पेशकार द्वारा भरी जाय तो उस पर तत्काल पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाय। यह भी ध्यान दिया जाय कि फर्द–ए–अहकाम हेतु प्रयुक्त होने वाला पेपर उच्च गुणवत्ता का हो।

7- उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 176 के अंतर्गत न्यायालयों में कुरे दाखिल करने हेतु बार–बार तिथियां निर्धारित की जा रही हैं, यह स्थिति ठीक नही है। यह भी अनुभव किया जा रहा है कि लेखपालों द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय नियमावली में उल्लिखित कुरों के निर्धारण हेतु अनुसरण किये जाने वाले सिद्वान्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है जिसके कारण अनियमित कुरे दाखिल किये जाने से पक्षकारों द्वारा आपत्तियां दाखिल की जाती है, एवं न्यायालय भी इन कुरों को विधि अनुरूप न होने के कारण स्वीकार नहीं कर पाता है, जिससे वादों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है। उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय मैनुअल के अध्याय–15 का संज्ञान समस्त लेखपालों को कराया जाये तथा निर्धारित सिद्वान्तों/ नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये । उप जिलाधिकारी लेखपालों की बैठक में यह स्पष्ट कर दें कि लेखपाल न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रथम तिथि पर ही कुरे दाखिल कर दें।

8– भू–राजस्व अधिनियम की धारा–34 के अन्तर्गत नामान्तरण वादो में इस्तिहार जारी करने एवं उसकी तामीला हेतु निर्धारित प्रावधानों की जानकारी इस्तिहार जारी करने वाले एवं उनकी तामीला में लगे कर्मचारियों को दी जाय। इसी प्रकार सम्मन की तामीला हेतु निर्धारित प्रकिया एवं प्राविधानों से सम्मन तामील कराने वाले कर्मचारियों को दी जाय, जिससे इस्तिहार जारी करने एवं सम्मन की तामीला की कार्यवाही निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप हो सके।

9– उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा–122 बी के वादों में बेदखली एवं क्षतिपूर्ति के आदेश दिये जाते है। अतः ऐसे वादों के आदेशों में, संबंधित न्यायालय के पेशकार/ अहलमद द्वारा, प्रपत्र–49 ग तीन प्रतियों में तैयार किया जाय।

कृ0पृ0–3–

उक्त तीन प्रतियों में एक प्रति डब्लू0 बी0 एन0 को क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु, द्वितीय प्रति, राजस्व निरीक्षक को कब्जा दिलाने हेतु तथा तृतीय प्रति तहसील के रजिस्ट्रार कानूनगों को अनुश्रवण हेतु प्रेषित की जाये। भूमि का कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त लेखपाल व ग्राम प्रधान के हस्ताक्षरों सहित राजस्व निरीक्षक अपनी आख्या दो प्रतियों में तैयार कर एक प्रति संबंधित न्यायालय के पेशकार को वाद पत्रावलियों पर रखने हेतु तथा दूसरी प्रति तहसील की रजिस्ट्रार कानूनगो को रिकार्ड पर रखने हेतु प्रेषित की जाये जिससे कार्यलय को कब्जा की भूमि की जानकारी प्राप्त रहे तथा उसके प्रबन्धन हेतु आवश्यक कार्यवाही भी की जा सके।

10— उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122 बी0 के अन्तर्गत तहसीलदार न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये जाने के बाद क्षतिपूर्ति वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय तथा उ0प्र0 राजस्व न्यायालय के अध्याय—30 व व्यवहार प्रकिया संहिता—1908 की प्रथम अनुसूची के आर्डर—21 के नियम—35 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप बेदखली कर गाँव सभा को कब्जा दिलाने की कार्यवाही सम्पन्न कराई जाय । बेदखली की कार्यवाही के उपरान्त भी कब्जा न छोडे जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा—123(ख) के अन्तर्गत आपराधिक कार्यवाही अवैध कब्जेदार के विरूद्व की जाय तथा उप जिलाधिकारी गाँव सभा का कब्जा भी सुनिश्चित कराये ।

11— राजस्व निरीक्षकों द्वारा भू—राजस्व अधिनियम की धारा—41 के अन्तर्गत सीमा विवाद के मामलों में, प्राथमिक रिर्पोर्ट, उ0प्र0 भू0राजस्व अधिनियम की धारा—41 (2) में दी गई समयावधि व व्यवस्था के अनुरूप नहीं दी जाती है जिसके कारण कब्जों के यथावत् बने रहने के बाद भी बिना मेड़ टूटे ही निराधार प्रार्थना पत्र पर, मामला न्यायालय में विवादित होकर चलने लगता है तथा लम्बे समय तक लंम्बित बना रहता है।

12— कभी—कभी उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा—161 के अन्तर्गत गाँव सभा की भूमि का विनिमय भूमिधरों की भूमि से, गाँव सभा के प्रस्ताव पर, बिना गाँव सभा के हित का परीक्षण किये, उप जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है जो कि शासकीय हित के विरूद्व है। गाँव सभा भूमि का विनिमय तभी किया जाय जब उस विनियम से गाँव सभा का हित या सार्वजनिक हित हो रहा हो, भूमिधर के हित में गांव सभा की भूमि का विनिमय अपने पद का दुरूपयोग है ।

13— जनपद में संचालित समस्त राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को यह पुनः स्पष्ट करें कि सभी राजस्व अधिनियमों, नियमों एवं मैनुअल का भलीभाँति अध्ययन कर उसमें दिए गये प्राविधानों का अक्षरशः पालन व कियान्वयन कर राजस्व न्यायालयों की मानक गरिमा को पुनः स्थापित करें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राजस्व न्यायालयों की कार्य प्रणाली का सीधा प्रभाव भूमि विवादों से जनित शान्ति व्यवस्था एवं शासन की छवि पर परिलक्षित होता है।

कृ0पृ0—4—

14– अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों की एक प्रति जनपद व मण्डल के समस्त राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुये, निर्देशों का सम्यक् अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा राजस्व वादों के निस्तारण में प्रभावी गतिशीलता लाने हेतु अपने स्तर से भी प्रयास करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्तः

भवदीय,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन,, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0के0एस0चौहान)
विशेष कार्याधिकारी,
कृते आयुक्त एवंसचिव

O/C
Pary
24/5/14